Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding online submission of application by farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- Laid

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर):मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो जिलों टोंक व सवाई माधोपुर में वित्त वर्ष 2017-18, 2018–19, 2019-20 में दोनों प्रकार की फसलों के लिए कितने किसानों द्वारा कुल कितनी फसल का बीमा करवाया गया । किसानों और सरकार के द्वारा कुल कितना प्रीमियम दिया गया और कितने किसानों को कितनी मुआवजा राशि दी गई?

इस योजना के तहत दो प्रकार के किसानों का बीमा किया जाता है- ऋणी कृषक और गैर ऋणी कृषक । ऋणी कृषक का बीमा तो सहकारी समितियों के माध्यम से स्वतः ही हो जाता है परन्तु गैर ऋणी कृषकों का बीमा, बीमा हेतु नियुक्ति बीमा कम्पनियों के माध्यम से ही किया जाता है । गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा हेतु ऑन लाइन आवेदन करना होता है परन्तु ऑन लाइन आवेदन करने की अवधि बहुत कम होती है । परिणामस्वरूप अधिकांश कृषक इस योजना के तहत आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं ।अतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑन लाइन आवेदन करने की सूचना समाचार पत्रों में अग्रिम प्रकाशित करवा कर गैर ऋणी कृषकों को पर्याप्त समय दिया जाये ।